

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

—:: आदेश ::—

(शुद्धि पत्र)

श्री शक्ति कुमार, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी-सह-प्रभारी प्राचार्य, औ० प्र० संस्थान, पकडीदयाल, औ० प्र० संस्थान, चकिया तथा औ० प्र० संस्थान, सिकरहना के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1331 दिनांक-08.06.18 द्वारा अंसचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि की अधिरोपित शास्ति को निरस्त करते हुये यह निर्णय लिया गया कि उनके स्पष्टीकरण की पुनः समीक्षा करते हुये दण्ड के बिन्दु पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त किया जायेगा। श्री कुमार के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति विभागीय आदेश ज्ञापांक-6/श्रम वि०आ०-(01)-196/2017 श्र०सं०-603 दिनांक-12.03.19 द्वारा निरस्त किया गया है। परन्तु उक्त आदेश ज्ञापांक की कंडिका 03 में टंकण भूलवश "आरोपी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है" टंकित हो गया है। अतएव "आरोपी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है" के स्थान पर "उनके स्पष्टीकरण की पुनः समीक्षा कर दण्ड के बिन्दु पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है" समझा जाए।

2. आदेश ज्ञापांक- 6/श्रम वि०आ०-(01)-196/2017 श्र०सं०-603 दिनांक-12.03.19 को इस अंश तक संशोधित समझा जाय। उक्त आदेश के शेष अंश यथावत् रहेंगे।

3. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०-6/श्रम वि० आ० (01)- 196/2017 श्र०सं०- पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि- श्री शक्ति कुमार, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी को सूचनाार्थ
प्रेषित।

निबंधित/सीड पोस्ट

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०-6/श्रम वि० आ० (01)- 196/2017 श्र०सं०- पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रति के
साथ बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की
15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०-6/श्रम वि० आ० (01)- 196/2017 श्र०सं०- पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०-6/श्रम वि० आ० (01)- 196/2017 श्र०सं०- पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार
पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं०-6/श्रम वि० आ० (01)- 196/2017 श्र०सं०-1476 पटना, दिनांक-25/6/19
प्रतिलिपि- निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त
सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/प्रभारी गोपनीय चारित्री/लोक सूचना
पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-01), श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/6/19

सरकार के उप सचिव